दिनांक 04.06.2022 को क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना की अध्यक्षता में आहूत बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :–

1.	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना	अध्यक्ष
2	डॉ० गोपाल सिह, भा०व०से०,	वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना	सदस्य
3.	श्री एस० सुधाकर, भा०व०से०,	वन सरक्षक, गया अंचल, गया	सदस्य
4.	श्री राजीव रंजन, भा०व०से०	वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया वन प्रमंडल, गया	सदस्य सचिव
5	श्री विकास अहलावत, भा०व०से०,	वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	सदस्य सचिव
6	श्री शशिकांत कुमार, भा०व०से०,	वन प्रमंडल पदाधिकारी, पटना पार्क प्रमंडल, पटना	आमंत्रित सदस्य

कार्यवाही :

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के कार्यालय आदेश संख्या 03 दिनांक 01.10.2019 द्वारा गठित समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में गया वन प्रमंडल, गया/नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के तहत वनभूमि/सरकारी गैर वनभूमि पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पुनर्स्थापन/पातन अनिवार्य/अपरिहार्य हो गया है, उनके पुनर्स्थापन/पातन पर विचार हेतु उक्त प्रमंडलों के अधीन निम्न परियोजनाओं के लिए वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:–

1. **गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गया एवं बोधगया शहर में पेय जलापूर्ति के लिए गया एवं बोधगया शहरों में Notified Road के किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1109 हे० वन भूमि का अनापति प्रमाण–पत्र के संबंध में।**

गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गया एवं बोधगया शहर में पेय जलापूर्ति के लिए गया एवं बोधगया शहरों में Notified Road के किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 2.1109 हे० वन भूमि अपयोजन के प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक 4092 दिनांक 27.07.2020 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रासंगिक परियोजना में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना के पत्रांक 740 दिनांक 27.08.2020 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना को कार्यादेश निर्गत करने एवं कार्य स्थल पर अवस्थित वैसे वृक्षों, जिनका पातन/पुनर्स्थापन (Tree Protection Plan) प्रस्ताव समर्पित किये जाये उसपर निर्णय हेतु कहा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के निरीक्षण के उपरान्त उनके पत्रांक 2268 दिनांक 12.05.2022 द्वारा प्रस्तावित पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति पातन	पातन	अनुचित
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	गया वन प्रमंडल, गया	कार्यपालक अभियंता तिलैया नहर प्रमण्डल वजीरगंज जिला–गया।	गंगा जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत गया एवं बोधगया शहर में पेय जलापूर्ति के लिए गया एवं बोधगया शहरों में Notified Road के किनारे पाईप लाईन बिछाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के	21	17	0	04	वर वृक्षों का पातन

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 21 वृक्ष हैं, में से 17 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 04 वृक्षों का पातन के कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) पर उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।

2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।

3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

2. **घोड़ा कटोरा में गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिजर्वायर (Reservoir) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.0425 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिजर्वायर निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.0425 हे० वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय राँची के पत्रांक FP/BR/Water/44592/20/3888 दिनांक 04.04.2020 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रासंगिक परियोजना में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) बिहार, पटना के पत्रांक 552 दिनांक 26.06.2020 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना को कार्यादेश निर्गत करने एवं कार्य स्थल पर अवस्थित वैसे वृक्ष, जिनका पातन/पुनर्स्थापन के लिए Tree Protection Plan समर्पित करने तथा उसपर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु कहा गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के निरीक्षण के उपरान्त उनके पत्रांक 1843 दिनांक 02.06.2022 द्वारा प्रस्तावित पुनर्स्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ	घोड़ा कटोरा में गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिजर्वायर (Reservoir) निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 36.0425 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव	280	78	0	202	

समिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 280 वृक्ष हैं, में से 78 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 202 वृक्षों का पातन के कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) पर उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा। पातन की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा Stage-II clearance प्राप्त होने के पश्चात हीं की जायेगी।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0,पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश के अनुसार किया जायेगा।
4. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन मासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

3. गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिजर्वायर (Reservoir) निर्माण हेतु अधिग्रहित रैयती गैर वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों के संबंध में

गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिर्जवायर निर्माण हेतु रैयती अधिग्रहित भूमि पर अवस्थित वृक्षों के संबंध में वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के निरीक्षण के उपरान्त उनके पत्रांक 1843 दिनांक 02.06.2022 द्वारा प्रस्तावित पुनरर्थापन/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का सारांश निम्नवत् है:–

क्र० सं०	वन प्रमण्डल का नाम	प्रयोक्ता एजेंसी का नाम	कार्य विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्स्थापन	यथा स्थिति पातन	पातन	अन्युक्ति
1	2	3.	4	5	6	7	8	9
1.	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्रमंडल, बिहारशरीफ	गंगा जल उद्वह योजना के तहत पेय जलापूर्त्ति के लिए नालन्दा जिलान्तर्गत रिजर्वायर (Reservoir) निर्माण हेतु अधिग्रहित रैयती गैर वनभूमि पर अवस्थित वृक्षों के संबंध में।	1116	231	0	885	

सनिति के अनुशंसा–

विमर्शोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत Stage-II Clearance के पश्चात् ही पातन की मापदंड कर पातन की स्वीकृति दी जायेगी।

1. प्रस्तावित स्थल पर परियोजना निर्माण कार्य में बाधक बने कुल 1116 वृक्ष हैं, में से 231 वृक्षों का पुनर्स्थापन तथा 885 वृक्षों का पातन के कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) पर उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. विभागीय संकल्प संख्या संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 के प्रावधान अनुसार इस प्रस्ताव में गैर वन सरकारी भूमि पर पातित होने वाले वृक्षों के तीन गुणा (885x3=2655) पौधों का रोपण उसी कार्य स्थल या अन्य आस–पास के अन्य सरकारी भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रदत्त निधि से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण कराया जायेगा। क्षति पूरक वनरोपण के पौधों का जीवन–क्षम होने तक रख रखाव भी किया जायेगा।
3. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्षों के पुनर्स्थापन तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/प0व, पटना, दिनांक 28.01.2013 तथा संकल्प संख्या–178 (ई) प0व0, पटना दिनांक 29.03.2016 तथा संकल्प संख्या 974 (ई०) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
4. वृक्षों के पुनर्स्थापन का कार्य प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा समर्पित नक्शा के आधार पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के निदेश के अनुसार किया जायेगा।
5. पुनर्स्थापित वृक्षों का उत्तरजीवितता प्रतिवेदन नासिक तौर पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।

4. नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर भवन निर्माण कार्य हेतु अस्पताल परिसर में उपलब्ध भू-खण्ड पर मौजूद विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के पातन/पुनर्रोपण की अनुमति हेतु प्रस्ताव समर्पित करने के संबंध में।

नालन्दा जिलान्तर्गत बिहारशरीफ में सदर अस्पताल को मॉडल अस्पताल के रूप में विकसित कर भवन निर्माण कार्य हेतु अस्पताल परिसर में उपलब्ध भू-खण्ड पर मौजूद विभिन्न प्रजाति के वृक्षों को पुनर्रोपण/पातन हेतु निर्धारित "वृक्ष सुरक्षा योजना" (Tree Protection plan) का प्रस्ताव तैयार किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरान्त उनके प्रतिवेदन/प्रस्ताव वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक [illegible] दिनांक 17.05.2022 द्वारा पुनर्रोपण/पातन हेतु प्रस्तावित वृक्षों/पौधों की संख्या का ब्यौरा निम्नवत है:-

क्र. सं.	वन प्रमंडल का नाम	[illegible]	[illegible] विवरणी	कुल वृक्षों की संख्या	वृक्षों की संख्या			
					पुनर्रोपण	[illegible] पातन	पातन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ	[illegible]	[illegible]	12	06	0	06	[illegible]

समिति के अनुशंसा:-

विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि:-

1. वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ द्वारा समर्पित प्रस्ताव पर समिति द्वारा विमर्श के उपरांत सर्वसम्मति से यह अनुशंसा की गयी है कि प्रस्तावित स्थल पर कुल 12 वृक्ष हैं, में से 06 वृक्षों का पुनर्रोपण तथा 06 वृक्षों का पातन के कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समर्पित "वृक्ष सुरक्षा योजना (Tree Protection plan) के अनुसार उनके स्वयं के खर्च पर किया जायेगा।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वृक्ष के पुनर्रोपण तथा पातन का कार्य का आदेश सरकार के संकल्प संख्या 43 (ई)/पव0, पटना, दिनांक 23.01.2013 तथा संकल्प संख्या-178 (ई) पव0, पटना दिनांक [illegible] तथा संकल्प संख्या 974 (ई0) दिनांक 26.07.2019 के आलोक में किया जायेगा।
3. विभागीय संकल्प संख्या पत्रांक 43 (ई)/पव0, पटना, दिनांक 23.01.2013 के प्रावधान अनुसार इस प्रस्ताव में गैर वन सरकारी भूमि पर पातित होने वाले वृक्षों के तीन गुणा (6 x 3=18 = 20) पौधारोपण [illegible] कार्य स्थल पर या उसके आस-पास अन्य सरकारी भूमि पर करेंगे। उनके द्वारा इस क्षतिपूरक वनरोपण का पौधों के जीवन-काल होने तक रख-रखाव भी सुनिश्चित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा स्वयं के व्यय पर पातित वृक्षों के काष्ठ एवं जलावन के टुकड़ों को परिवहन अनुज्ञा पत्र के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा द्वारा निर्धारित वनागार में पहुँचाने का कार्य किया जायेगा।
5. पुनर्रोपित वृक्षों का वस्तुस्थिति प्रतिवेदन मासिक तौर पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ [illegible] अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
गया वन प्रमंडल, गया

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
नालन्दा वन प्रमंडल, बिहारशरीफ

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
पटना [illegible] प्रमंडल, पटना

वन संरक्षक,
गया अंचल, गया

वन संरक्षक,
पटना अंचल, पटना

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
पटना

कार्यालय–क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना।

ज्ञापांकः– 645 पटना, दिनांकः– 15 / 6 /2022 ई०।

प्रतिलिपिः– वन संरक्षक, पटना अंचल, पटना/वन संरक्षक, गया अंचल, गया/वन प्रमंडल पदाधिकारी, नालन्दा/गया वन प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/22

(मिथिलेश कुमार चौधरी)
उप वन संरक्षक